



Neutral Citation No. -2026:AHC:16006

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3872 वर्ष 2025

सावित्री

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 13 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचीगण के अधिवक्ता : राम जीत यादव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मृदुल कुमार, तथा ग्राम सभा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह को सुना गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर की गई है:

"परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिससे प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 को निर्देशित किया जाए कि वे प्रत्यर्थी संख्या 7 से 14 के अवैध एवं अनधिकृत अतिक्रमणों को तत्काल हटाकर ध्वस्त करें, जो कि भूखण्ड संख्या 1045एम, क्षेत्रफल 0.013 हेक्टेयर (प्रत्येक प्रत्यर्थी संख्या 7 से 14 से) पर स्थित हैं, जो संबंधित ग्राम सभा की ऊसर भूमि के रूप में अभिलेखों में दर्ज है, ग्राम मकनपुर, ब्लॉक सुरियावां, परगना एवं तहसील भदोही, जिला संत रविदास नगर भदोही (उ.प्र.) में स्थित है, तहसीलदार भदोही द्वारा यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 07.07.2023 (इस रिट याचिका (पी.आई.एल.) के अनुलग्नक संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9) के अनुपालन में, क्रमशः।"

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड राजस्व अभिलेखों में ऊसर के रूप में दर्ज है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 7 से 14 के विरुद्ध यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया जा चुका है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किए जाने के बावजूद, बेदखली एवं क्षतिपूर्ति के आदेश का स्थल पर अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि तहसीलदार द्वारा यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत दिनांक 7.7.2023 को पारित आदेश के अनुसरण में प्रश्नगत भूखण्ड पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. तहसीलदार, भदोही, जिला संत रवि दास नगर द्वारा प्रेषित दिनांक 16.1.2026 के अनुदेश अभिलेख पर लिए जाते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 16.1.2026 के अनुदेशों के आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 7 से 14 के विरुद्ध दर्ज मामलों में दिनांक 7.7.2023 को ही बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया जा चुका है तथा प्राधिकारी अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने हेतु कदम उठा रहे हैं।

6. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया गया है।

8. यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 के अंतर्गत यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन हेतु प्रावधान किया गया है, अतः यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन के लिए वर्तमान जनहित याचिका ग्राह्य नहीं है।

9. वर्तमान जनहित याचिका इस अवलोकन के साथ **खारिज की जाती है** कि यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 के अंतर्गत विहित विधि के अनुसार समुचित कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रमीज़

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।